प्रेस नोट- दिनांक 04.04.2024

इटावा पुलिस द्वारा दहेज के लिये हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों (01अभियुक्ता सहित) को किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना इकदिल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.04.2024 को वादी बृजेन्द्र कुमार पुत्र निवासी ग्राम लालपुरा(समसपुर), भरथना, इटावा ने थाना इकदिल पर तहरीरी सूचना दी कि वादी के जीजा अरुण कुमार पुत्र रविन्द्र सिंह व उसके परिजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग पुरी न होने पर वादी की बहन सोनम की मारपीट कर हत्या कर दी गयी, तहरीर के आधार पर थाना इकदिल पर **मु0अ0सं0 101/2024 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 डीपी एक्ट** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024, जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आज दिनांक 04.04.2024 को थाना इकदिल पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों अरुण कुमार उर्फ बन्टू पुत्र रविन्द्र सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 विन्दावन व अभियुक्ता शकुन्तला पत्नी रविन्द्र सिंह को **बिरारी ओवर ब्रिज के पास से समय 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अरुण कुमार उर्फ बन्टू पुत्र रविन्द्र सिंह (मृतका का पति) निवासी ग्राम नगला दलप थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र 28 वर्ष।
2. रविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 विन्दावन (मृतका का ससुर) निवासी उपरोक्त।
3. शकुन्तला पत्नी रविन्द्र सिंह (मृतका की सास) निवासी उपरोक्त।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0- 101/2024 धारा- 498A/304B भा0द0वि0 व 3/4 द0प्र0अधि0 थाना इकदिल इटावा

पुलिस टीमः- प्रभारी निरीक्षक श्री भीमसेन पौनियां थाना इकदिल जनपद इटावा, उपनिरीक्षक श्री लोकेश कुमार सैनी, का0 विकास बंसल, का0 राजकुमार, म0का0 मंजू देवी।